

Government of Haryana Environment, Forest and Wildlife Department New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी कमांकः 4822—व—5—2023 /66 77 चण्डीगढ दिनांक (3-10-2023

विषय:

Diversion of 0.0684 Ha. of forest land for access to Permission to Smt. Veena Rani on Old NH-01(New NH-44) at km. 166.979, in Village Khanpur Kolian, Tehsil Thanesar, under Forest Division & Distt Kurukshetra, Haryana.

(Online Proposal No. FP/HR/Approach/155809/2022)

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिरयाणा पंचकूला की सिफारिश के दृष्टिगत मुख्य वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला द्वारा Smt. Veena Rani. के अनुरोध पर किथत प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव 0.0684 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 09 वृक्ष (वाल्यूम 3.72 m^3) बाधक हैं जो कटवाए जाएंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति में पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजैन्सी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

कं0सं0	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	54358
2	Supervisory Charge	10872
3	फैलिंग चार्जिज	4464
4	नैट प्रेजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड	65512
	कुल	135206

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से DUK Railway line km. 153-154 L&R पर 137 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में संस्तुति उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा), कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

Full Title of the Project: Diversion of 0.0684 ha of forest lad for access to permission to Smt. Veena Rani on Old NH-04(new NH-44) at km. 166.979 in village Khanpur Kolian Teh. Thanesar Under Forest Division and District Kurukshetra, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/155809/2022

<u>PART-V</u>

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18. Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)

Recommended for approval.

Date: 13-10-23

Place: Chandigarh

Signature (1)/13/10/23 Name: Dr. T.P Singh,

> Secretary to Govt. of Haryana, Forest & Wildlife Department

Secretary to Govt. of Haryana, Office Seal: Forest Department